जल क्षेत्र सुधार : परीक्षण तालिका (भाग–१)

Water Sector Reforms: A Checklist (Part-I)

पिछले करीब डेढ़ दशक से देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कानूनी और ढाँचागत बदलाव किए जा रहे हैं। वित्तीय स्वावलंबन हेतु पिछले ५ – ६ वर्षों से ये बदलाव पानी के क्षेत्र में भी प्रारंभ हुए हैं। कुछ सुधार की इस प्रक्रिया में आगे बढ़ गए हैं तो कुछ इसकी शुरूआत कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इस चैक लिस्ट के माध्यम से हमारी अपेक्षा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में जारी जल क्षेत्र सुधार संबंधी गतिविधियों का आंकलन किया जा सके।

1.	**Legal Reforms कानूनी बदलाव** रिफार्म गतिविधियों को बढ़ावा देने हेत कानूनी बदलाव जरूरी होते है। ये बदलाव या तो नए कानूनों के रूप में होते हैं या फिर प्रचलित कानूनों में संशोधन के रूप में। अपेक्षित बदलावों का जिक्र अधिकतर जलक्षेत्र सुधार से संबंधित वित्तीय एजेंसियों द्वारा कर्ज के दस्तावेजों में कर दिया जाता है।				
	i.	**जल नीति** (भारत की पहली जल नीति १९८७ में बनी थी जिसमें २००२ में बदलाव कर नई जल नीति बनाई गई है। इन बदलावों में जल क्षेत्र में निजी पूँजी निवेश का विकल्प भी शामिल था। इसी फार्मेट पर राज्यों की जलनीतियाँ भी बनी है और बन रही है।)			
	(a)	क्या आपके राज्य की जल नीति अस्तित्व में हैं?		हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ तो कब बनी?..			
	(c)	क्या आपके राज्य की जल नीति निजी निवेश को अनुमति देती है?		हाँ	नहीं
	(d)	क्या आप अपने राज्य में जल नीति के निर्माण के बाद निजी पूँजी निवेश में बढ़ौत्तरी देख रहे है?		हाँ	नहीं
	(e)	क्या जल नीति में निजी जलस्रोतों जैसे कुओं और ट्यूबबेलों से पानी लेने पर भी शुल्क निर्धारण का प्रावधान है?		हाँ	नहीं
	(f)	आंध्रप्रदेश की जल नीति में जल नियामक आयोग बनाने का प्रावधान है। क्या आपके राज्य की जल नीति में भी ऐसा प्रावधान है?		हाँ	नहीं
	(g)	क्या राज्य जल नीति में संचालन/संधारण खर्च वसूली का प्रावधान है अथवा पूर्ण लागत वापसी की भी व्यवस्था की गई है?		हाँ	नहीं
		क्या राज्य जल नीति में कृषि, उद्योग आदि को कोई प्राथमिकता दी गई है? यदि हाँ तो प्राथमिकता का क्रम क्या है?		हाँ	नहीं
	(h)	क्या राज्य जल नीति में जल अधिकारों का प्रावधान है?		हाँ	नहीं
	ii.	**जल नियामक आयोग** (सेक्टर रिफार्म कर्जों में नियामक आयोग बनाने की अपेक्षा की जाती है। मध्यप्रदेश जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना में विश्व बैंक ने जल क्षेत्र में भी जल नियामक आयोग बनाने की शर्त रखी है। महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश में ऐसा आयोग बनाया जा चुका है। अरूणाचल प्रदेश और आंध्रप्रदेश में आयोग के गठन हेतु कानून पारित किया गया हैं। अरूणाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्य है जिन्होंने सेक्टर रिफार्म संबंधी कोई कर्ज नहीं लिया है लेकिन उनके द्वारा किए जा रहे बदलावों से सेक्टर रिफार्म की और उनका रूझान दिखाई देता है।)			
	(a)	क्या आपके राज्य में जल नियामक आयोग संबंधी कानून बनाया जा चुका हैं? यदि नहीं तो कानून का प्रारूप या अध्यादेश जारी हुआ है?		हाँ	नहीं
	(b)	यदि नहीं तो क्या इस संबंध में कोई गतिविधि जारी है या कोई सरकारी आदेश या कर्जदाता एजेंसी की शर्त है?		हाँ	नहीं
	(c)	यदि कानून नहीं बना तो क्या कानून बनाने की प्रक्रिया जारी है? कानून का प्रारूप या अध्यादेश बन चुका है?		हाँ	नहीं
	(d)	क्या आपके राज्य में जल नियामक आयोग का गठन हो चुका हैं?		हाँ	नहीं
	(e)	यदि हाँ तो कब?			
	(f)	यदि हाँ तो क्या जल नियामक आयोग ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है?		हाँ	नहीं
	(g)	जल नियामक आयोग के मुख्य कार्य क्या है?			

	(h)	क्या जल नियामक आयोग के कार्यों में कृषि, उद्योग आदि विभिन्न श्रेणियों को कोई प्राथमिकता देना शामिल है? यदि हाँ तो प्राथमिकता का क्रम क्या है?		हाँ	नहीं
	(i)	क्या जल नियामक आयोग के कार्यों में जल अधिकार निर्धारित और आवंटित करना शामिल है?		हाँ	नहीं
	(j)	यदि नहीं तो क्या जल नियामक आयोग के गठन के बारे में कोई सरकारी आदेश जारी हुआ है?		हाँ	नहीं
	(k)	क्या नियामक आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता है?		हाँ	नहीं
	(l)	क्या नियामक आयोग की कार्यप्रणाली में जनसहभागिता की संभावना है?		हाँ	नहीं
	(m)	क्या नियामक आयोग तक आम आदमी की पहुँच है?		हाँ	नहीं
	iii.	**स्वायत्त दर निर्धारण विभाग** (सेक्टर रिफार्म के तहत कई बार दर निर्धारण एवं वसूली हेतु स्वायत्त विभागों की अपेक्षा की जाती है। एडीबी द्वारा दिए गए कर्ज ''मध्यप्रदेश शहरी जलप्रदाय एवं पर्यावरण सुधार परियोजना'' में स्वायत्त जलप्रदाय एवं स्वच्छता विभाग बनाने की शर्त रखी गई है।)			
	(a)	पेयजल प्रदाय अथवा सिंचाई कीं दरों के निर्धारण हेतु क्या कोई स्वायत्त विभाग/समिति गठित की गई है?		हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ तो कब?			
	(c)	स्वायत्त विभाग द्वारा दर निर्धारण का आधार पूर्ण लागत वापसी होगा अथवा संचालन/संधारण खर्च?			
	iv.	**सहभागी सिंचाई प्रबंधन कानून** सेक्टर रिफार्म गतिविधियों के तहत कई राज्यों में सहभागी सिंचाई प्रबंधन कानून बनाए जा चुके हैं। कुछ राज्यों में यह प्रक्रिया जारी है।			
	(a)	क्या आपके राज्य में सहभागी सिंचाई प्रबंधन कानून बना है?		हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ तो कब?			
	(c)	क्या कानून में जल उपभोक्ता समिति के असफल होने की दशा में किसी अन्य सहकारी समिति या निजी कंपनी को शामिल करने का प्रावधान है?		हाँ	नहीं
	(d)	यदि हाँ तो सिंचाई तंत्र किसानों को पुन: सौंपे जाने के पूर्व उसके पुनर्वास और सुधार की कोई शर्त है?		हाँ	नहीं
	v.	**कानूनों में बदलाव** (ऐसे उदाहरण देखने में आ रहे है कि अब कानून का प्रारूप तैयार करने का काम राज्य के अतिरिक्त अन्य समूह भी करने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसा ही प्रयास किया गया है। एडबी ने इसे कानून बनाने का सहभागी तरीका करार दिया है। इस कानून को छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा ने मार्च २००६ में पारित करते हुए पुराने कानून ''छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम १९९९'' को समाप्त कर दिया।)			
	(a)	विश्व बैंक, एडीबी जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों द्वारा क्या किसी कानून को बदलने हेतु कोई प्रक्रिया चलाई जा रही है?		हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ, तो क्या इन बदलावों में निजी पूँजी निवेश या निजी क्षेत्र को किसी अन्य रूप में प्रोत्साहन दिया जा रहा है?		हाँ	नहीं
	vi.	**जल नीति में बदलाव** (कुछ प्रकरणों मे देखने में आया है कि वित्तीय एजेंसियों द्वारा दिए जा रहे कर्जों में जल नीतियों के प्रावधानों को बदलने की शर्त भी शामिल की जाती हैं। जैसे ''समेकित बाढ़ एवं नदी कटाव प्रबंधन परियोजना'' के नाम से अरूणाचल प्रदेश को दी गई तकनीकी सहायता में एडीबी द्वारा राज्य की जल नीति में बदलाव की शर्त रखी गई है।)			
	(a)	जल नीति में संशोधन का कोई प्रयास किया जा रहा है?		हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ तो कृपया जानकारी दीजिए			

	vii.	**नगरपालिका अधिनियम में बदलाव** (वित्तीय सुधारों की प्रक्रिया में नगरपालिका अधिनियम के कुछ प्रावधानों में बदलाव किए जा रहे है।)			
	(a)	क्या आपको पानी संबंधी कानूनों में किसी बदलावों की जानकारी है?		हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ तो वे बदलाव किस प्रकार के हैं?			
	viii.	**जलप्रदाय संचालन का विखण्डन** (जल क्षेत्र का विखण्डन कर थोक और खुदरा वितरण को अलग–अलग किया जा रहा है। इसी प्रकार बिल बनाना, उसका वितरण और वसूली व्यवस्था को भी अलग अलग किया जा रहा है।)			
	(a)	क्या जलप्रदाय एवं स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं में क्षेत्र विखण्डन किया जा रहा है?		हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ तो कब से ?			
	ix.	**जेएनएनयूआरम एवं यूआईडीएसएसएमटी** शहरी बुनियादी ढाँचा निर्माण की बड़ी परियोजना है। देश के सैकड़ों शहरों में जारी यह परियोजना निजी पूँजी निवेश आकर्षित करने का प्रयास कर रही है)			
	(a)	क्या आपके राज्य में जल क्षेत्र में के तहत परियोजनाएँ जारी है?		हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ तो क्या इन परियोजनाओं के तहत सार्वजनिक–निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है?		हाँ	नहीं
	(c)	इन परियोजनाओं से संबंधित अन्य जानकारी जो आप देना चाहें			
	x.	**लाभार्थियों से आर्थिक सहभाग** (सुधार परियोजनाओं की लागत में लाभार्थियों से मौद्रिक अंशदान लिया जाता है। परियोजना का संचालन/संधारण खर्च भी लाभार्थियों से ही वूसला जाने का प्रावधान है। कुछ मामलों में लागत पर लाभ भी वसूला जाता है।)			
		A. स्वजल धारा (ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु जारी स्वजलधारा में लाभार्थियों से मौद्रिक अंशदान तथा संचालन/संधारण खर्च भी वसूला जाता है। मध्यप्रदेश की लगभग सभी पंचायतों ने इसका संचालन/संधारण खर्च पंचायत को प्राप्त निधि से वहन किया जा रहा है क्योंकि ग्रामीणों से यह खर्च वसूला जाना संभव नहीं हो पा रहा है।)			
		क्या आपके राज्य में स्वजलधारा का क्रियांवयन जारी है?		हाँ	नहीं
		यदि हाँ तो कब से?			
		B. राजीव गाँधी जल प्रबंधन मिशन भूमि तथा जल संग्रहण हेतु कई राज्यों में राजीव गाँधी जल संग्रहण मिशन संचालित है। इसमें लाभार्थियों (वास्तव में काम करने वाले मजदूरों से) मौद्रिक अंशदान वसूला जाता है।			
		क्या आपके राज्य में राजीव गाँधी जल संग्रहण मिशन का क्रियांवयन जारी है?		हाँ	नहीं
		क्या आपको जल क्षेत्र की किसी ऐसी योजनाओं की जानकारी है जिसमें लाभार्थियों से मौद्रिक अशदान लिया जा रहा है?		हाँ	नहीं
		यदि हाँ तो कृपया योजना का नाम तथा पूँजीगत खर्चों हेतु लिए जा रहे अंशदान की जानकारी दें।			
	xi.	**भू–जल नियमन कानून** (कई राज्यों में भूजल के नियमन हेतु कानून प्रस्तावित है।)			
	(a)	क्या आपके राज्य में भूजल नियमन कानून अस्तित्व में है या फिर प्रस्तावित है?		हाँ	नहीं

	xii.	**आयतन आधारित जलप्रदाय** (जल क्षेत्र सुधार के तहत जल प्रदाय/सिंचाई कनेक्शनों से समय आधारित शुल्क के बजाय आयतन आधारित शुल्क वसूला जाता है। इसके तहत कनेक्शनों पर मीटर लगाए जाते हैं।)			
	(a)	क्या आपके राज्य में नापतौल के आधार पर जलप्रदाय किया जा रहा है?		हाँ	नहीं
	xiii.	**जल अधिकार (पट्टे)** (जल नियामक कानून के तहत महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में ''जल अधिकार'' परिभाषित कर दिया गया है। इस जल अधिकारों की खरीदी बिक्री का भी प्रावधान होता है।)			
	(a)	क्या आपने कभी जल अधिकारों के बारे में सुना है?		हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ तो क्या इस संबंध में गतिविधियाँ जारी है?		हाँ	नहीं
	(c)	क्या ये जल अधिकार खरीदी–बिक्री लायक होंगें?		हाँ	नहीं
	(d)	ये अधिकार जल नीति के तहत निर्धारित किए जा रहे हैं या फिर जल नियामक कानून के तहत?		हाँ	नहीं
	(e)	ये जल अधिकार भूमि जोत के आधार पर निर्धारित किए जाएँगें या फिर प्रति व्यक्ति के हिसाब से?		हाँ	नहीं
	(f)	इन जल अधिकारों से पानी का समतामूलक बँटवारा सुनिश्चित हो सकेगा?		हाँ	नहीं
	(g)	इन जल अधिकारों में कृषि संबंधी अन्य कार्यों जैसे बागवानी, पशुपालन आदि में , गैर कृषि कार्यों में लगे लोगों और भूमिहीन मजदूरों के लिए कोई प्रावधान है?		हाँ	नहीं
	xiv.	**जल उपभोक्ता समिति** (सहभागी सिंचाई प्रबंधन के तहत जल उपभोक्ता समूह बनाए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर सिंचाई प्रबंधन इन समितियों को सौंपा जा रहा है।)			
	(a)	क्या आपके राज्य में जल उपभोक्ता संस्थाएँ गठित की गई है?		हाँ	नहीं
	(b)	जल उपभोक्ता संस्थाओं को किसी परियोजना से जोड़ा गया है?		हाँ	नहीं
	(c)	क्या जल उपभोक्ता संस्थाओं को सफल संचालन करने वाली इकाई के रूप में देखा जा रहा है?		हाँ	नहीं
	(d)	क्या इन समितियों को वितरण नहरों का संचालन सौंप दिया गया है?		हाँ	नहीं
	(e)	क्या इन समितियों को वितरण नहरों के मरम्मत का अधिकार दिया गया है?		हाँ	नहीं
	(f)	क्या ये समितियाँ जल दरों की वूसली भी कर रही है?		हाँ	नहीं
	(g)	जल दरों के निर्धारण में इन समितियों की कोई भूमिका है?		हाँ	नहीं
	(h)	इन समितियों का चुनाव दलीय राजनीति के आधार पर हो रहा है?		हाँ	नहीं
	(i)	इन समितियों के प्रबंधन में महिलाओं, दलितों और अन्य वंचित समुदायों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है?		हाँ	नहीं
	(j)	समितियों को शासन का पर्याप्त सहयोग मिल रहा है?		हाँ	नहीं
	(k)	अन्य जानकारी जो आप देना चाहें			
2.	**Institutional Reforms संस्थागत सुधार** (सेक्टर रिफार्म कर्जो में कुछ शर्ते शामिल होती है जिनमें संस्थागत/ढाँचागत बदलाव महत्वपूर्ण है। कर्जदाता अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियाँ संस्थागत बदलावों पर बल देती है जिसके कारण नई संस्थाएँ अस्तित्व में आती है।)				
	i.	**(राज्य जल संसाधन परिषद)**			
	(a)	क्या आपके राज्य में राज्य जल संसाधन परिषद का गठन हो चुका है?		हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ तो कब?			
	(c)	इसके सदस्य कौन है?		हाँ	नहीं
	(d)	यदि आप इस परिषद के प्रमुख कार्य बता सकें तो			

		....			
	ii.	**(नदी कछार विकास बोर्ड)**			
	(a)	क्या आपके राज्य में किसी नदी कछार विकास बोर्ड का गठन हुआ है? यदि हाँ तो कब?			
	(b)	इसके सदस्य कौन है?			
	(c)	यदि आप इस परिषद के प्रमुख कार्य बता सकें तो			
	iii.	**(राज्य जल संसाधन आँकड़ा एवं विश्लेषण केन्द्र)**			
	(a)	आपके राज्य में जल संसाधन आँकड़ा एवं विश्लेषण केन्द्र या इससे मिलते जुलते नामों के किसी नई संस्था का गठन किया गया है?		हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ तो कब से तथा इसके सदस्य कौन है?			
	(c)	यदि आप जल संसाधन आँकड़ा एवं विश्लेषण केन्द्र के प्रमुख कार्य बता सकें तो			
	iv.	**(राज्य जल संसाधन एजेंसी)**			
	(a)	आपके राज्य में राज्य जल संसाधन एजेंसी जैसी कोई संस्था है?		हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ, तो क्या राज्य जल संसाधन एजेंसी का गठन प्रस्तावित किया गया है?		हाँ	नहीं
	(c)	यदि हाँ तो इसके सदस्य कौन है?			
	v.	**मेट्रोपोलिटन एरिया प्लानिंग एवं डेवलपमेंट ऑथोरिटी** मध्यप्रदेश में एडीबी सहायतित 'मध्यप्रदेश शहरी जलप्रदाय एवं पर्यावरण सुधार परियोजना' की शर्तों में संबंधित नगरनिकायों द्वारा जलदर वृद्धि भी शामिल है। लेकिन भोपाल नगरनिगम में दलीय राजनीतिक समीकरणों के कारण इस शर्त का पालन मुश्किल हो रहा है। संभवत: इसी प्रकार की समस्याओं से निपटने हेतु एक केन्द्रीय एजेंसी का गठन किया जा रहा है ताकि कर्ज की शर्तों का पालन उच्च स्तर से सुनिश्चित किया जा सके। कुछ राज्यों में इस प्रकार की डेवलपमेंट अथॉरिटी अस्तित्व में है। मध्यप्रदेश में भी मेट्रोपोलिटन एरिया प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी (मेपडा) का गठन प्रस्तावित है। मेपडा को व्यापक अधिकार सम्पन्न बनाने का प्रयास है ताकि मास्टर प्लॉन से लेकर विकास के हर काम करने का अधिकार उसे होगा। इसका राज्य स्तरीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा तथा हर इकाई का अलग अध्यक्ष होगा। ग्राम पंचायतों के सरपंच भी इसमें शामिल रहेंगें।			
	(a)	इस तरह का कोई प्राधिकरण आपके राज्य में हैं?		हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ तो कब एवं इसके सदस्य कौन है?			
	vi.	**शहरी अधोसंरचना कोष** नगरीय निकायों को बाजार से ऋण लेने हेतु उनकी साख बढाने में सहयोग करने के लिए केन्द्र सरकार ने पूल्ड फायनांस डेवलपमेंट फण्ड का गठन किया है। केन्द्र ने राज्यों से कहा है कि वे पीएफडीएफ से वित्तीय सहयोग करने के लिये राज्य साझा वित्त इकाई का गठन करें।			

		इसी संदर्भ में मध्यप्रदेश सरकार ने 'मध्यप्रदेश शहरी अधोसंरचना कोष' बनाने संबंधी निर्णय लिया। इस कोष में राज्य शासन का करोड़ रुपये का अंशदान होगा। ऐसे ही प्रयास अन्य राज्यों में भी हो रहे होंगें।		
	(a)	क्या आपके राज्य में शहरी अधोसंरचना कोष बनाया गया है?	हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ तो कब एवं इसके सदस्य कौन है?		
	vii.	**नगरनिगम बॉण्ड** (स्थानीय निकाय अपनी साख का इस्तेमाल करते हुए म्यूनिसीपल बाण्ड जारी कर रहे हैं)		
	(a)	क्या आपको अपने क्षेत्र में किसी नगरनिकाय द्वारा बॉण्ड जारी करने की जानकारी है?	हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ तो, किस नगर निकाय ने कितनी राशि के बॉण्ड जारी किए है?		
	viii.	**राज्य स्तरीय बुनियादी सेवाओं हेतु शहरी गरीब कोष** जहाँ राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी केन्द्रीय अथवा राज्य की राशि उदार कर्ज अथवा कर्ज अनुदान के रूप में मुक्त करती है वहाँ जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरी गरीबों की सुविधाओं संबंधी उप मिशन यह सनिश्चित करेगा कि मुक्त राशि का कम से कम १० प्रतिशत अंशदान वापस लिया जाए जिसे चक्रीय कोष के रूप में जमा किया जाए। इस कोष का इस्तेमाल उप मिशन के अंतर्गत सर्जित संपत्तियों के संचालन/संधारण खर्च में खर्च में किया जाए। मिशन की समाप्ति पर इस चक्रीय कोष का उन्नयन शहरी गरीबों हेतु राज्य स्तरीय बुनियादी सेवा कोष में किया जा सकता है।		
	(a)	क्या आपके राज्य में ऐसी कोई गतिविधि जारी है?	हाँ	नहीं
	ix.	**मोहल्ला समिति का गठन** (मध्यप्रदेश में हाल ही में नगरपालिका निगम अधिनियम १९५६ के तहत मोहल्ला कमिटियों हेतु नए नियम बनाए गए हैं। इसका उपयोग नगरीय सेवाओं के बिलों की वसूली तथा अन्य कार्यों के लिए किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानों पर रहवासी संघ भी गठित किए गए हैं। अन्य स्थानों/राज्यों में इससे मिलते जुलते नामों वाले संगठन बनाए जा सकते हैं।)		
	(a)	क्या आपके राज्य में मोहल्ला कमिटी/रहवासी संघ अथवा इस प्रकार का कोई संगठन बनाया गया है?	हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ तो कब?		
	(c)	इन समितियों से स्थानीय निकाय ने शुल्क वसूली संबंधी कोई अनुबंध किया है?	हाँ	नहीं
	(d)	अनुबंध के अनुसार समितियों ने कार्य प्रारंभ कर दिया है?	हाँ	नहीं
	(e)	मोहल्ला कमिटी हेतु क्या कोई संस्थागत/नीतिगत बदलाव किए गए है?	हाँ	नहीं
3.	**Private Sector Participation – Public Private Partnerships** **निजीक्षेत्र का निवेष**			
	i.	(विश्व बैंक, एडीबी, डीएफआईडी जैसे वित्तीय संस्थान देशों/राज्यों को तकनीकी सहायता के नाम से अनुदान देते हैं। इस अनुदान के माध्यम से अध्ययन द्वारा क्षेत्र के विकास का खाका सुझाया जाता है। ये खाका आमतौर पर क्षेत्र सुधार का समर्थन करने वाला होता है। कई प्रकरणों में तकनीकी सहायता के तहत अध्ययन करने का ठेका विदेशी फर्मों को दिया जाता है)		
	(a)	क्या आपके राज्य में जलक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों से तकनीकी सहायता अनुदान प्राप्त हुए है?	हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ तो आपके पास उपलब्ध जानकारी दें।/		
	ii.	**जलप्रदाय एवं स्वच्छता के क्षेत्र में पीपीपी** (बुनियादी सेवा के क्षेत्र में निजी भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। आज कल सार्वजनिक निजी भागीदारी नाम का जुमला ज्यादा चल रहा है। यह भी निजी भागीदारी का ही एक तरीका है। महाराष्ट्र की नीरा–देवघर परियोजना में इसका प्रयास किया जा रहा है)		
	(a)	क्या आपके राज्य में पीपीपी/पीएसपी के माध्यम से परियोजनाएँ जारी है?	हाँ	नहीं

	(b)	यदि हाँ तो प्रमुख योजनाओं के नाम			
	iii.	**जल क्षेत्र सुधार परियोजना** ('जल क्षेत्र पुनर्रचना/सुधार' नाम के कर्ज कई राज्यों में दिए गए है। इन कर्जों से संचालित परियोजनओं से पूरे क्षेत्र में बड़े बदलाव होते हैं।)			
	(a)	क्या आपके राज्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों से वित्त पोषित जलक्षेत्र पुनर्रचना/सुधार परियोजना जारी है?		हाँ	नहीं
	(b)	क्या ये परियोजनाएँ विश्व बैंक/एडीबी के कर्ज की शर्तों के तहत जारी है?		हाँ	नहीं
	iv.	**शहरी क्षेत्र पनर्रचना/पर्यावरण सुधार परियोजना** (शहरी बुनियादी सुविधाओं हेतु इन नामों अथवा इनसे मिलते जुलते नामों से कर्ज स्वीकृत किए जा रहे है। इन कर्जों में जलप्रदाय व्यवस्था एक प्रमुख घटक होता है।)			
	(a)	क्या आपके राज्य में शहरी क्षेत्र सुधार, शहरी बुनियादी ढाँचा परियोजना, शहरी पर्यावरण सुधार परियोजना जैसे नामों की परियोजनाएँ जारी है?		हाँ	नहीं
	v.	**आउटसोर्सिंग** (इसके तहत कुछ कार्य अथवा क्षेत्र के कुछ हिस्से निजी सेवा प्रदाताओं को सौंप दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए जलप्रदाय के मामले में बिल बनाने, वितरण करने अथवा वसूली वाले हिस्से)			
	(a)	क्या बिल बनाना, बिल वितरण, बिल वसूली अथवा संचालन/संधारण आदि का आउटसोर्सिंग किया जा रहा है?		हाँ	नहीं
	vi.	**भुगतान की इच्छा सर्वेक्षण** (निजी निवेश के पूर्व भुगतान की इच्छा दर्शाने वाला सर्वेक्षण आवश्यक है। जहाँ भी रिफार्म संबंधी गतिविधि शुरू होती है वहाँ इस प्रकार के सर्वे किए जाते हैं।)			
	(a)	आपकी जानकारी में जलप्रदाय क्षेत्र हेतु क्या कोई 'भुगतान की इच्छा' जैसा सर्वेक्षण हुआ है?		हाँ	नहीं
	vii.	**DFID/PPIAF/USAid/AusAid/JBIC/Water Aidकी गतिविधियाँ** (सुधार गतिविधियों को आगे बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों के साथ ही कुछ देशों के विकास एजेंसियाँ भी बड़ी भूमिका निभाती है।)			
	(a)	क्या आपकी जानकारी में जलप्रदाय और स्वच्छता संबंधी कोई ऐसी परियोजना प्रस्तावित/जारी है जिसमें जैसी कोई एजेंसी शामिल है?		हाँ	नहीं
4.	**Social obligations under reforms** **सुधार में सामाजिक जवाबदेही** (जलप्रदाय व्यवस्था को बाजार के सिद्धांतों के अनुसार संचालित करने के लिए उसकी हर बूँद का हिसाब रखना तथा राजस्व वसूलना जरूरी है। इसलिए सुधार गतिविधियों से सामाजिक सरोकार प्रभावित हुए हैं। सेवा शुल्क का भुगतान न करने वाले को उस सेवा से पृथक भी कर दिया जाता है।)				
	i.	**सार्वजनिक नल** (गरीबों के पानी का एक प्रमुख स्रोत है सार्वजनिक नल। नगर निकायों ने नए सार्वजनिक नल लगाना बंद कर दिए हैं तथा जो पहले से लगे हुए है उन्हें बंद किया जा रहा है)			
	(a)	क्या आपके नगर/प्रदेश में नए सार्वजनिक नल लगाए जा रहे हैं?		हाँ	नहीं
	(b)	क्या पूर्व में लगे हुए सार्वजनिक नलों को बंद किया जा रहा है?		हाँ	नहीं
	(c)	यदि हाँ जो कृपया जानकारी दें			
	ii.	**दरवृद्धि** (वित्तीय स्वावलंबन हेतु जलप्रदाय की दरों में स्थाई रूप से वृद्धि शुरू कर दी जाती है। कई बार यह दर वृद्धि अप्रत्याशित होती है)			
	(a)	यदि हाँ जो कृपया जानकारी दें/			

	iii.	**भुगतान के अभाव में कनेक्शन काटा जाना** (बिल नहीं चुका पाने वाले नागरिकों के पानी के कनेक्शन काट दिए जाते हैं। कभी तो बकाया चुकाने के बाद भी ऐसे कनेक्शनों को नहीं जोड़ा जाता जिससे उपभोक्ताओं को कनेक्शन शुल्क सहित नया कनेक्शन लेना पड़ता है।)		हाँ	नहीं
	(a)	क्या आपकी जानकारी में ऐसा कोई उदाहरण है जहाँ बिल न भर पाने पर पानी के कनेक्शन काटे जा रहे है?		हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ जो कृपया जानकारी दें ………… …….. ……. …….…….. ……… ………. ………. ……... ………………………………………………….			
	iv.	**प्रत्येक उपभोक्ता से न्यूनतम वसूली** (इंदौर नगर निगम ने प्रत्येक परिवार से चाहे वह निगम के जल स्रोत से पानी ले अथवा नहीं एक न्यूनतम वसूली का प्रस्ताव पारित किया है। हालांकि इस प्रस्ताव पर अमल अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन कभी भी शुरू हो सकता है। संभव है दूसरे शहरों में भी ऐसे प्रावधान किए गए हों।)			
	(a)	आपकी जानकारी में ऐसा कोई उदाहरण है जहाँ पानी का कनेक्शन नहीं होने के बावजूद नगरनिकाय नागरिको से जलप्रदाय शुल्क वसूल रहा है?		हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ जो कृपया जानकारी दें ………… …….. ……. …….. ………… …….. ………….. ………….. …………………….. ………………………… ………………….. ………………………… …………….			
5.	**Financial reforms वित्तीय क्षेत्र सुधार**				
	i.	**कर्मचारियों की संविदा नियुक्तियाँ** (आवश्यक होने पर नई भर्ती संविदा आधार पर की जाती है।)			
	(a)	क्या नगरनिकायों/सरकारी विभागों में कर्मचारियों नियुक्तियाँ संविदा आधार पर की जा रही है?		हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ, तो कृपया जानकारी दें। ………… …….. ……. …….. ……… ………………………………			
	ii.	**कर्मचारियों की छँटनी** (वित्तीय स्वावलंबन हेतु अमले में कटौती की जाती है। पहले संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को हटा दिया जाता है। बाद में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति दी जाती है और सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के स्थान पर नई नियुक्ति नहीं की जाती।)			
	(a)	क्या नगरनिकायों/सरकारी विभागों में कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त की जा रही है?		हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ तो क्या छँटनी के पूर्व कर्मचारियों से के साथ परामर्श किया गया?		हाँ	नहीं
	(c)	यदि हाँ जो कृपया जानकारी दें ………… …….. ……. ……..……………… ………………….. ……………………………………………………………………………………………			
	iii.	**स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति** (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की जा रही है। सेवानिवृत्ति से खाली होने वाले पदों को या तो समाप्त कर दिया जाता है अथवा खाली रखा जाता है।)			
	(a)	क्या नगरनिकायों/सरकारी विभागों में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति दी जा रही है?		हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ जो कृपया जानकारी दें ………… …….. ……. …….. ………………. ……………. ……………….. ………………………. ……………………………… ………………………………………			
	iv.	**पूर्ण लागत वापसी** (पूर्ण लागत वापसी पर बल दिया जा रहा है। अर्थात किसी सेवा पर किए गए खर्च की संपूर्ण वसूली उपभोक्ताओं से ही करने का प्रावधान किया जा रहा है।)			
	(a)	क्या किसी नगरनिकाय में जलप्रदाय की पूर्ण लागत वापसी की जा रही है या इसके लिए दरें बढ़ाकर प्रयास किया जा रहा है?		हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ जो कृपया जानकारी दें/ ………… …….. ……. …….. ………. ……………. …………. ………			
	v.	**संचालन/संधारण खर्च की वूसूली** (जो ढाँचे सार्वजनिक संसाधनों से निर्मित है अथवा अथवा इसी प्रकार की सरकारी अनुदान आधारित योजनओं से निर्मित है उनमें भी कम से कम पूर्ण संचालन/संधारण लागत तो वसूले जाने का		हाँ	नहीं

		प्रावधान किया ही गया है।)		
	(a)	क्या आपकी जानकारी में किसी नगरनिकाय/सरकारी विभाग द्वारा जलप्रदाय के संचालन/संधारण खर्च की वसूली की जा रही है?	हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ जो कृपया जानकारी दें/............		
6.	**Regulation नियमन** (सुधार की जरूरत के हिसाब से पानी से संबंधित नये कानून बनाए जा रहे है तथा कानूनों में भी बदलाव किए जा रहे हैं।)			
	(a)	क्या आपके राज्य में पानी के नियमन संबंधी कोई कानून है?	हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ तो उसका नाम/............		
	(c)	क्या आपके राज्य में कोई स्वायत्त जल नियामक प्राधिकरण (या आयोग) कार्यरत है?	हाँ	नहीं
	(d)	यदि हाँ तो यह कब बना?/............		
	(e)	इस कानून के बनने के पूर्व आम जनता से सलाह/सुझाव की प्रक्रिया चलाई गई थी?	हाँ	नहीं
	(f)	लोगों ने इस प्रक्रिया पर कोई प्रतिक्रिया दी?	हाँ	नहीं
	(g)	इस प्राधिकरण/आयोग के अध्यक्ष कौन हैं।?		
	(h)	प्राधिकरण/आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के पैमाने और पात्रता क्या थी?	हाँ	नहीं
	(i)	क्या नियामक आयोग को जल दर (टैरिफ) तय करने का अधिकार है?	हाँ	नहीं
	(j)	क्या नियामक आयोग को विभिन्न श्रेणियों के लिए जल उपयोग निर्धारित करने करने की पात्रता है?	हाँ	नहीं
	(k)	क्या नियामक आयोग को इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को भी जल अधिकार (पट्टे) आवंटित किए जाने की योजना है?	हाँ	नहीं
	(l)	क्या नियामक आयोग जल सेवा प्रदाताओं के लिए लाईसेंस व्यवस्था लागू करेगा?	हाँ	नहीं
	(m)	क्या नियामक आयोग को आर्थिक शास्ति आरोपित करने का अधिकार है?	हाँ	नहीं
	(n)	क्या नियामक आयोग पानी की पूर्ण लागत वसूली को प्रोत्साहित करता है?	हाँ	नहीं
	(o)	क्या नियामक आयोग के पास पानी की लागत का नियमन करने का अधिकारी है?	हाँ	नहीं
	(p)	क्या नियामक आयोग के पास जल हानि को रोकने का अधिकार है।	हाँ	नहीं
	(q)	क्या नियामक आयोग के पास प्रदूषण नियंत्रित करने का अधिकार है?	हाँ	नहीं
7.	**Support to reform activities (Research and Publications by IFI's)** **सुधार गतिविधियों को सहयोग (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों द्वारा शोध एवं प्रकाशन)** (सुधार गतिविधियों के प्रचार–प्रसार हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों द्वारा अनेक प्रकार की रिपोर्टे तथा अन्य प्रकाशन किए जाते हैं। जिनमें ये एजेंसियाँ खुद के ज्ञान को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करती है।)			
	(a)	क्या आपके इलाके के लिए विश्व बैंक, एडीबी, पीपीआईएएफ जैसी संस्थाओं द्वारा कोई अध्ययन रपट प्रकाशित की गई है जिसमें निजी पूँजी निवेश का समर्थन किया गया हो।	हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ तो उसकी संक्षिप्त जानकारी/............		
8.	**Support to Private companies** **निजी कंपनियों को सहायता**			
	(a)	क्या आपको अपने इलाके/राज्य की किसी जलप्रदाय या स्वच्छता परियोजना की जानकारी है जिसमें कोई निजी कंपनी शामिल है?	हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ तो कंपनी के नाम सहित योजना का संक्षिप्त विवरण		

		....			
	(c)	क्या आपके राज्य में जल क्षेत्र की परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी शुरू की गई है?		हाँ	नहीं
	(d)	क्या राज्य सरकार द्वारा संबंधित कंपनी को सब्सिडी, प्रोत्साहन/सहयोग या किसी प्रकार की गारण्टी दी गई है?		हाँ	नहीं
	(e)	यदि हाँ तो कृपया जानकारी दें/..................			
	(f)	राज्य सरकार द्वारा निजी कंपनी को सब्सिडी अथवा किसी अन्य प्रकार का सहयोग दिया गया है?			
9.	**User Charges, Tariff Structure, Last Revision of Tariff Structure** **सेवा शुल्क, दर संरचना, दरों में आखिरी बार संशोधन** (सेवाओं को सशुल्क बनाया जा रहा है तथा वित्तीय स्वावलंबन के नाम पर सेवा दरों को लगातार बढ़ाया जा रहा है।)				
	(a)	क्या आपके राज्य में जलप्रदाय शुल्क के साथ स्वच्छता शुल्क भी लिया जा रहा है?		हाँ	नहीं
	(b)	क्या जलप्रदाय/स्वच्छता गतिविधियों की पूर्ण लागत वापसी के बारे में कोई आदेश पारित किया गया है?		हाँ	नहीं
	(c)	यदि हाँ तो कब?/.............			
	(d)	क्या जलप्रदाय स्वच्छता शुल्क की दरों में बदलाव के बारे में कोई आदेश पारित किया गया है?		हाँ	नहीं
	(e)	यदि हाँ तो कब?/...			
	(f)	वर्तमान में जलप्रदाय और स्वच्छता शुल्क की घरेलू और व्यावसायिक दरें क्या है?			
	(g)	जलप्रदाय और स्वच्छता शल्क की दरों में परिवर्तन (प्रतिशत में) किस प्रकार हो रहा है?			
	(h)	क्या सिंचाई दरों में भी बढ़ोत्तरी की जा रही है?		हाँ	नहीं
	(i)	यदि हाँ तो यह बढ़ोत्तरी कितनी (प्रतिशत में) है?			
	(j)	क्या सिंचाई योजनाओं का पूर्ण संचालन/संधारण खर्च वसूली हेतु कोई आदेश जारी हुआ है?		हाँ	नहीं
10.	**Consultancy परामर्शी सेवाएँ** (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों के कर्ज से संचालित परियोजनाओं में सलाहकारी कार्य एक बड़ा हिस्सा होता है। कई बार कर्ज दस्तावेज में ही इसका उल्लेख कर दिया जाता है। एडीबी वित्त पोषित मध्यप्रदेश शहरी जलप्रदाय एवं पर्यावरण सुधार परियोजना में करोड़ रूपये के कर्ज में से गरीब बस्तियों हेतु मात्र करोड़ खर्च होने हैं, जबकि सलाहकारों के लिए करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।)				
	(a)	क्या आपके राज्य में किसी नगरनिकाय/सरकार ने किसी सलाहकार/सलाहकारी फर्म से अनुबंध किया है?		हाँ	नहीं
	(b)	यदि हाँ तो कब तथा कितने सलाहकारों से?/..................			
	(c)	सरकार अथवा नगर निकाय द्वारा सलाहकारों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है?			
	(d)	किस काम के लिए सलाहकारों से अनुबंध किया गया है?			
	(e)	क्या सरकार अथवा नगर निकाय द्वारा किसी विदेश सलाहकार/फर्म से भी अनुबंध किया गया है?		हाँ	नहीं
	(f)	राज्य सरकार अथवा नगर निकाय द्वारा विश्व बैंक, एडीबी जेबीआईसी जैसी किसी एजेंसी से तकनीकी सहायता जलप्रदाय और स्वच्छता परियोजनाओं में अनुदान लिया गया है?		हाँ	नहीं
	(g)	क्या सलाहकारों ने नियोजन की इस पूरी प्रक्रिया में जन सहभाग सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रयास किया?		हाँ	नहीं